


**बिहार सरकार,
युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग**

॥ आदेश ॥

युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत सभी पक्षों के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मियों को वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-10543 दिनांक-06.10.2025 द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2025 के प्रावधानों के आलोक में वित्तीय उन्नयन (ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0) का लाभ देने के निमित्त विचार करने के लिए निम्नांकित प्रकार के विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है:-


1.	सचिव, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना।	- अध्यक्ष
2.	निदेशक, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना	- सदस्य
3.	विशेष सचिव/अपर सचिव, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना।	- सदस्य
4.	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना।	- सदस्य
5.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनु0 जाति / जनजाति के पदाधिकारी।	- सदस्य
6.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी।	- सदस्य

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(विकास कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- 01/प्रशि०विधि०-03/2020 यु०रो०.513.../पटना-01, दिनांक-24/05/26
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/सचिव, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/स्थापना से संबंधित सभी प्रशाखा पदाधिकारी, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव